I/28669/2023

ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना

Rural Enterprise Acceleration Project (REAP)

(ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन)

216, पड़ितवाड़ी, फेज II, देहरादून, उत्तराखण्ड, दूरभाष–0135–2773800।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
USRLM देहरादून ।

विषयः–USRLM द्वारा गठित CLF में REAP अन्तर्गत Value Chain आधारित उद्यम स्थापना के लिए CLF में Nominal सदस्य जोड़कर उनको CLF-LC में Transform करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया अवगत होने का कष्ट करें कि IFAD सहायतित एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP) में लक्षित वर्ग को उत्पादक समूहों में गठित कर उनको आजीविका संघो (LCs) मे federate किया गया था, इन समूहों में औसतन 84% महिलाएं तथा 16% प्रगतिशील पुरूष किसान सदस्य थे। उक्त समूहों में प्रगतिशील पुरूष किसानों की भागीदारी से ILSP में Livelihood and market के कार्य का एक मॉडल स्थापित हुआ। ILSP के उक्त Successful मॉडल को USRLM तथा ILSP अन्तर्गत गठित समूहों के माध्यम से पूरे उत्तराखण्ड में Replicate करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा IFAD के वित्तीय सहयोग से REAP परियोजना को सभी 95 विकासखण्डों में संचालित किया जा रहा है।

URSLM के अन्तर्गत समूहों में शत्प्रतिशत महिला किसान सदस्य है, इस क्रम में ILSP के मॉडल को Replicate करने हेतु REAP के ISM Note में CLF के वर्तमान सदस्यों के साथ युवाओं, प्रगतिशील किसानों व पुरूषों को Nominal सदस्य के रूप में जोड़कर उक्त CLF को CLF-LC के रूप में Transform करने का उल्लेख किया गया है ताकि महिला समूहों व CLF के उत्पादों के विपणन व Value Chain आधारति उद्यमों को उक्त Nominal सदस्यों के सहयोग से गति प्रदान की जा सकें। Nominal सदस्यों को CLF की Governance व्यवस्था अन्तर्गत कोई Voting Right नही होगा तथा इन सदस्यों की जानकारी आदि को मात्र REAP के MIS में Capture किया जायेगा इनकी जानकारी को USRLM के MIS में entry करने की आवश्यकता नही होगी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में दिनांक 24.03.2023 को USRLM के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में महिला स्वयं सहायता सम्बन्धी बैठक में मुख्य सचिव महोदय से चर्चा की गई थी । मुख्य सचिव महोदय द्वारा उपरोक्त पैरा में वर्णित अनुसार Nominal सदस्य जोड़ने के लिए सहमति व्यक्त की गई है।

वर्तमान में REAP परियोजना का USRLM के समन्वयन से संचालन में ज्ञात हुआ है कि USRLM द्वारा गठित CLF का Self reliant Cooperative Act 2003 में पंजीकृत कराते समय CLF की नियमावली में उपरोक्त Nominal सदस्य को जोड़ने की व्यवस्था को नही रखा गया है, इसलिए Nominal सदस्यों को जोड़कर CLF को CLF-LC में Transform करने के लिए प्रत्येक CLF को अपनी नियमावली को तद्नुसार संशोधित कर उक्त में Nominal सदस्य जोड़ने का प्राविधान नियमावली में करते हुए उक्त की प्रति सम्बन्धित सहायक रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा करानी होगी।

अतः अनुरोध है कि REAP अन्तर्गत Value Chain आधारित उद्यम स्थापना के लिए CLF में उपरोक्तानुसार Nominal सदस्यों को जोड़ने का प्राविधान हेतु उनकी नियमावली में संशोधन व संलग्नक दिशा–निर्देशो का क्रियान्वयन कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– CLFs से CLF-LCs में परिवर्तित करने हेतु दिशा–निर्देश ।

भवदीय

Signed by Nitika Khandelwal
Date: 18-07-2023 18:53:20

(नितिका खण्डेलवाल) IAS
परियोजना निदेशक,UGVS-REAP

I/28669/2023

प्रतिलिपिः –निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य परियोजना निदेशक, UGVS-REAP देहरादून को सादर सूचनार्थ ।
2. मुख्य विकास आधिकारी –अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, नैनीताल, उधमसिंह नगर, चमोली, रूद्रप्रयाग, पौडी, टिहरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार तथा देहरादून।
3. निदेशक वित्त, UGVS-REAP देहरादून।
4. सहायक रजिस्ट्रार कोआपरेटिव–अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, नैनीताल, उधमसिंह नगर, चमोली, रूद्रप्रयाग, पौडी, टिहरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार तथा देहरादून।
5. उप निदेशक–मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण, UGVS-REAP देहरादून ।
6. प्रबंधक, संस्थाएं एवं समावेश, REAP देहरादून।
7. जिला मिशन प्रबन्धक, USRLM अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, नैनीताल, उधमसिंह नगर, चमोली, रूद्रप्रयाग, पौडी, टिहरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार तथा देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. जिला परियोजना प्रबन्धक,REAP अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, नैनीताल, उधमसिंह नगर, चमोली, रूद्रप्रयाग, पौडी, टिहरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार तथा देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(नितिका खण्डेलवाल) IAS
परियोजना निदेशक,UGVS-REAP

USRLM द्वारा गठित संकुल स्तरीय फेडरेशनो (CLFs)को ग्रामीणउद्यम वेग वृद्धि परियोजना (REAP) अन्तर्गत CLFसे CLF-LC में परिवर्तित करने हेतु दिशा निर्देश

ग्रामीणउद्यम वेग वृद्धि परियोजना के समावेशी संकुल विकास घटक के अंतर्गत सामुदायिक संगठनों का संस्थागत सशक्तिकरण किया जाना है।इसके अन्तर्गत यू॰एस॰आर॰एल॰एम॰ की 440 पंजीकृत संकुल स्तरीय फेडरेशनो (CLFs) को CLFs से CLF-LCs में परिवर्तितकिया जाना है व CLFs अन्तर्गत व्यापारिक गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु स्टाफ रखने हेतु वित्तीय सहयोग प्रदान किया जायेगा। ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना की Startup Workshop के दौरान IFAD के Implementation Support Mission (ISM) द्वारा इन–CLFs को REAP के अन्तर्गत लेने/अंगीकरण करने के मानदण्डो का संशोधन किया जा चुका है, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

1. **Registration of CLF under SRC act 2003 and amend by laws to include Nominal Members: -** संकुल स्तरीय फेडरेशन उत्तराखण्ड स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003 के अंतर्गत पंजीकृत हो व युवाओं, प्रगतिशील किसानों को Nominal सदस्य के रूप में जोड़ने के लिए प्रस्ताव पारित करने के लिए सहमत हो जिससे कि CLF को व्यापारिक गतिविधियो मे अन्य सदस्यो को भी जोड़कर व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाया एवं सप्लाई चैन के कार्यो को सुगम बनाया जा सके।

2. **Establishment of Federation office at Suitable Place: -** USRLM द्वारा CLF के कार्यालय को ऐसी उपयुक्त जगह पर स्थापित किया हो अथवा जाए जहाँ से CLF-LC की व्यापरिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल सके और CLF के सदस्यो के उत्पादो को लाया अथवा ले जाया जा सके अर्थात सुगमता से कम व्यय पर ढुलान किया जा सके।

3- **Availability of office equipment – Furniture, Fixture, Computer etc:-** CLF में equipment (कम्प्यूटर सिस्टम, कुर्सी मेज) की व्यवस्था USRLM के वित्तीय सहयोग से होनी थी, जो कि वित्तीय आभाव के कारण नहीं हो पाई। उक्त के दृष्टिगत IFAD के Supervision Mission द्वारा CLF की Documentation, Tally व MIS, के महत्व को देखते हुए IFAD Mission द्वारा REAP परियोजना से पंजीकृत CLF-LCs को Computers, printer and software देने की संस्तुति की गई है। इस क्रम में CLF-LCs को Computers, printer and software खरीदने हेतु वित्तीय सहयोग परियोजना से किया जायेगा इसके अतिरिक्त ऑफिस के लिए मेज, कुर्सी, दरी इत्यादि की व्यवस्था CLF से USRLM को स्वयं करानी होगी।

4- **Appointment of Competent Accountant Cum DEO:-** CLF के Accounts एवं अन्य दस्तावेजों को व्यवस्थित करने हेतु REAP के Design Document के अनुसार Accountant की नियुक्ति CLF के माध्यम से की जानी थी, जिसका वहन Start Up Fund से CLF द्वारा किया जाना था। IFAD Supervision Mission के क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह महसूस किया कि CLF में कुशल Accountant होना चाहिए जो कि CLF के व्यापारिक गतिविधियों का दस्तावेजी ठीक से कर सके व MIS के कार्य भी ससमय पूर्ण कर सके। उक्त के मध्येनजर CLF के वर्तमान Accountant (यदि है तो) को प्रशिक्षित करने व REAP परियोजना अन्तर्गत की गई गतिविधियों ,व्यापारिक गतिविधियों को सही रूप से व्यवस्थित करने हेतु IFAD Supervision Mission द्वारा CLF में 3 वर्ष तक tapering basis पर Accountant रखने हेतु संस्तुति की गई है। इस क्रम में Accountant Cum DEO हेतु वित्तीय सहयोग (रू0 12,000 प्रतिमाह) REAP परियोजना द्वारा किया जायेगा, व CLF द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों (CLF स्टॉफ प्रबन्ध हेतु मार्गदर्शिका) के क्रम में इसका चयन किया जायेगा।

5- **Completion of Training leadership and CLF management and collection of share capital from individual members: -**ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना अन्तर्गत CLFs को CLF-LCs में परिवर्तित करने हेतु CLF पंजीकरण, आधारीय प्रशिक्षण जैसे नेतृत्व विकास, CLF प्रबंधन,व्यक्तिगत रूप से शेयर जमा कर अंशधारक जोडने का कार्य प्राथमिकता से USRLM Staff द्वारा किया जाना है। REAP परियोजना द्वारा CLF-LC में जोड़े गये व्यक्तिगत शेयरधारकों को Equity Matching Grant जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई स्तर से दी जायेगी। Matching Grant दो चरणों में दी जायेगी जिसमें प्रथम चरण में शेयरधारक द्वारा रू0 500.00 जमा करने के उपरान्त रू0 500.00 Matching Grant उपलब्ध करायी जायेगी। इसी प्रकार दूसरे चरण में रू0 500.00 शेयरधारक द्वारा जमा होन पर रू0 500.00 की Matching Grant परियोजना द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। शेयरधन के सापेक्ष CLF-LC द्वारा शेयरधारक को प्राप्ति रसीद व अंश प्रमाण पत्र (Share Certificate) उपलब कराया जायेगा।

6- **Good Governance System- At least 8 BoD meeting in last Financial year with Substantial Participation and with proper Documentation: -**उक्त बिन्दु के अन्तर्गत USRLM से CLF में एक अच्छे स्वशासन (Good Governance) की अपेक्षा की गयी है जिसके अन्तर्गत CLF में निदेशक मण्डल की एक वर्ष मे कम से कम 12 मीटिंगो का आयोजन होना चाहिए, जिसमें आधे से अधिक निदेशक मण्डल के सदस्यो की उपस्थिति व उसका उचित दस्तावेजी करण किया गया हो।

उक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही पूर्ण करने वाली संकुल स्तरीय फेडरेशनो को ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना में संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ (CLF-LC) के नाम से जाना जायेगा।

CLF से **CLF –LC** बनाने/परिवर्तित करने हेतु प्रक्रिया

1. DPM-REAP एवं APD/DMM- USRLM द्वारा CLF को CLF-LC में परिवर्तित करने हेतु योजनाबद्व तरीके से नियोजन किया जाये।
2. CLF से CLF-LC में परिवर्तित होने बाली इच्छुक CLF के निदेशक मण्डल के साथ बैठक कर CLF में में युवाओं, प्रगतिशील किसानों को Nominal सदस्य के रूप में जोड़ने के प्रस्ताव पारित कर उनकी नियमावली में यथोचित संशोधन कर लिया जाये।
3. CLF को ILSP अन्तर्गत गठित अच्छा काम करने वाले आजीविका संघों में भ्रमण करवाकर उन्हे अनुभवों से लाभान्वित किया जाये।
4. CLF-LC में व्यापारिक गतिविधियां करना अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील है इसलिए REAP एवं USRLM द्वारा दिये जाने वाले Funds अन्तर्गत मानव संसाधन रखने हेतु योजना बनायी जाये (गाईडलाईन कोपूर्व में प्रेषित कर दिया गया है)।
5. CLF से CLF-LC में परिवर्तित CLF को REAP अन्तर्गत मानदेय व गतिविधियों के संचालन हेतु अलग –अलग बैंक खाता खोलना होगा व अलग से Accounts को Maintain करना होगा जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की लेन–देन व ऑडिट सम्बन्धी समस्या न हो। सुरक्षा एवं सहयोग के दृष्टिगत गतिविधि खाते में DPM-REAP द्वारा नामित REAP स्टॉफ संयुक्त हस्ताक्षरी हो सकते है।
6. CLF के निदेशक मण्डल द्वारा पारित प्रस्ताव के साथ REAP की गतिविधियों में प्रतिभाग करने व वित्तीय सहयोग प्राप्त करने हेतु जिला परियोजना प्रबन्धक UGVS- REAP के साथ अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।

7. District Teams (REAP & USRLM) वार्षिक लक्ष्य प्राप्त करने हेतु एक व्यापार योजना का निर्माण करेंगे एवं PMU से व्यापारिक योजना की धनराशि प्राप्त करने हेतु अनुरोध करेंगे।

8- REAP शुरूआती चरण में CLF-LC को REAP अन्तर्गत निर्धारित धनराशि का 50% मानव संसाधन रखने हेतु दिया जायेगा व अवशेष 50% धनराशि वर्ष के अन्त में उनके द्वारा व्यापारिक योजना के लक्ष्यों की उपलब्धि एवं सदस्यों से अंश पूँजी प्राप्त करने के लक्ष्यों को पूर्ण करने के उपरान्त दिया जायेगा अथवा REAP - PMU द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में किया जायेगा।